महिला सशक्तिकरण और भारत

अर्जुन सिंह छतोला
प्रवक्ता जीव विज्ञान ,राजकीय इण्टर कालेज बाराकोट , चम्पावत , उत्तराखण्ड
ईमेल achhatola@gmail.com

प्रस्तावना - महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है महिलाओं को पुरुषो के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वयतता से होताहै।२१ वीं सदी के दूसरे दशक में राजनीति के स्वरूप में बुनियादी बदलाव हुए हैं और इसने एक परिवर्तनशील वैश्विक माहौल बनाया है। भारत में समानता के लिए महिलाओं तथा विभिन्न समूह आगे बढे है।राजनीति में महिलाओं की वैश्विक रैंकिंग में १९१ देशों में भारत १४९ वें पायदान पर है। समाज में आम तौर पर महिलाओं को विभिन्न मुद्दों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है।जिन्हे समाप्त किया जाना अति आवश्यक है।वर्तमान समय में महिलाएं आँगन से लेकर अंतरिक्षा तक पहुँच गयी हैं लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की हालत दयनीय बनी हुई है।इसलिए महिलाओं को समाज में और भी सशक्त बनाने के लिए सरकार अनेको दृढनिश्चयी प्रयास कर रही है।निश्चित रूप से कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये सुरक्षा की सुनिश्चितता के साथ- साथ यातायात साधनों की पहुँच में विस्तार के साथ सार्वजनिक स्थलों पर प्रसाधन केंद्रों आदि के तंत्र को मज़बूत करना बहुत ही आवश्यक है।महिलाओं की असीमित क्षमता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि इन्हें आर्थिक एवं सामरिक क्षेत्र के केंद्र में रखा जाना चाहिएताकि देश विकास में विकास का नया आयाम स्थापित हो सके।

भारतीय समाज में आज भी महिलाओं को लेकर दोहरे मापदण्ड हैं। एक तरफ तो उन्हें पूजनीया, सरस्वती, लक्ष्मी जैसी उपमाऐं देता है तो दूसरी तरफ उनका शोषण करने में भी पीछे नही रहता है। भारत में महिला अस्मिता और उसकी सुरक्षा, अधिकारों और सम्मान को लेकर आन्दोलन हुए हैं, परन्तु उन्हें पुरूष समाज की ओर से जितना समर्थन मिलना चाहिए नहीं मिला। घर परिवार और समाज में वाजिब सम्मान के लिए उसे लम्बा संघर्ष करना पड़ता है। बाहर एवं घर परिवार में हो रही हिंसा को मिटाए बिना समाज में महिला सशक्तिकरण का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता है। नये आर्थिक पर्यावरण के उद्भव, नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना, आधुनिक शिक्षा पद्धति और चिन्तन शैली के प्रसार आदि के फलस्वरूप भारत में महिला सशक्तिकरण का आरंभ हुआ ।

महिला का स्थान प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। महिला को ही सृष्टि रचना का मूल आधार कहा गया है। महिलाऐं समाज का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग है क्योंकि विश्व की आधी जनसंख्या तकरीबन इन्हीं की है। महिलाऐं आज भी पूरी तरह सशक्त नहीं हुई हैं, इसका सबसे बड़ा कारण आए दिन होने वाली तमाम घटनाऐं हैं, जिसमें वे तरह-तरह की हिंसा का शिकार हो रही हैं। बाहर तो वे हिंसा का शिकार होती है साथ ही अपने परिवार के पुरुष और दूसरी महिला सदस्यो के द्वारा भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बाहर एवं घर परिवार मे हो रही हिंसा को मिटाए बिना समाज में महिला सशक्तिकरण का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता है।महिला सशक्तिकरण का अर्थ है, महिलाओं में आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता व आत्मविश्वास जागृत करना है। महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता उनको अपने अधिकारों एवं कर्तव्यो के प्रति सजग होने की है। यदि कोई महिला अपने अधिकारों एवं कर्तव्यो के प्रति सजग और आत्मनिर्भर है, तो उसका आत्मसम्मान अवश्य ऊँचा होगा और वे देश कि विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर सकता है, जब उसकी लगभग आधी आबादी जो कि महिलाओं की है, को आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक, शैक्षणिक व धार्मिक आदि समस्त क्षेत्रों में सशक्त किया जाए। अरस्तू के शब्दों में "किसी भी राष्ट्र की स्त्रियों की उन्नति व अवनति पर ही उस राष्ट्र की उन्नति व अवनति निर्भर है। महिलाओं का समर्थ होना निरन्तर विकास की बुनियाद है। समर्थ होने पर ही महिलाएं अपने जीवन की सभी पहलुओं पर पूरा नियत्रंण पा सकती है। अतएव जब उनके जीवन और आजीविका के भौतिक आधार को सुदृढ नही किया जाता तब तक महिलाएं समर्थ नही हो सकेंगी। समाज के सन्दर्भ में नारी की स्थिति युगानुयुग परिवर्तनशील बनी रही है। नारी की महत्ता और गौरव एवं उसका वर्चस्व और गरिमा कभी उच्च से उच्चतर हो रही है, तो कभी उसमें ह्रास परिलक्षित होता है। एक सा स्वरूप उसका कभी नही रहा। आज नारी की जो सामाजिक और स्थिति है। 'कल' वैसी न थी, यह अन्य बात है, कि नारी अपनी विद्यमान अवस्था को अतीत की अपेक्षा उन्नत मानती है।

१. **अध्ययन का शीर्षक - महिला सशक्तिकरण और भारत** ।
२. **अध्ययन का उददेश्य** - भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति का अध्ययन व उसमें सुधार का अध्ययन करना ।
३. **अध्ययन की विधि** - ऐतिहासिक और वर्णनात्मक ।
४. **अध्ययन की सीमा** - केवल महिलाओ का अध्ययन ही अपेक्षित है । यह अध्ययन तुलनात्मक भी है और उनकी वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक प्रयासों व पूर्व में किऐ गऐ प्रयासों का जिक्र भी किया जाऐगा ।
५. **मुख्य शब्द** - महिला सशक्तिकरण , सामाजिक भागेदारी , आर्थिक भागेदारी , पारिवारिक उन्नति ।
६. **कार्यान्वयन - भारत में महिलाओं की स्थिति** ।

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति - वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को गरिमामय स्थान प्राप्त था। उसे देवी, सहधर्मिणी अर्द्धांगिनी, सहचरी माना जाता था। स्मृतिकाल में भी ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' कहकर उसे सम्मानित स्थान प्रदान किया गया है। पौराणिक काल में शक्ति का स्वरूप मानकर उसकी आराधना की जाती रही है। किन्तु ११ वीं शताब्दी से १९ वीं शताब्दी के बीच भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती गई। एक तरह से यह महिलाओं के सम्मान, विकास, और सशक्तिकरण का अंधकार युग था। मुगल शासन, सामन्ती व्यवस्था, केन्द्रीय सत्ता का विनष्ट होना, विदेशी आक्रमण और शासकों की विलासितापूर्ण प्रवृत्ति ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना दिया था और उसके कारण बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अशिक्षा आदि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का समाज में प्रवेश हुआ, जिसने महिलाओं की स्थिति को हीन बना दिया तथा उनके निजी व सामाजिक जीवन को कलुषित कर दिया।

धर्मशास्त्र का यह कथन नारी स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं है अपितु नारी के निर्बाध रूप से स्वधर्म पालन कर सकने के लिए बाह्य आपत्तियों से उसकी रक्षा हेतु पुरूष समाज पर डाला गया उत्तरदायित्व है। इसलिए धर्मनिष्ठ पुरूष इसे भार न मानकर ,धर्मरूप में स्वीकार अपना कल्याणकारी कर्त्तव्य समझता है। पौराणिक युग में नारी वैदिक युग के दैवी पद से उतरकर सहधर्मिणी के स्थान पर आ गई थी। धार्मिक अनुष्ठानों और याज्ञिक कर्मो में उसकी स्थिति पुरूष के बराबर थी। कोई भी धार्मिक कार्य बिना पत्नी नहीं किया जाता था। श्रीरामचन्द्र ने अश्वमेध के समय सीता की हिरण्यमयी प्रतिमा बनाकर यज्ञ किया था। यद्यपि उस समय भी अरून्धती (महर्षि वशिष्ठ की पत्नी), लोपामुद्रा, महर्षि अगस्त्य की पत्नी),अनुसूया (महर्षि अत्रि की पत्नी) आदि नारियाँ दैवी रूप की प्रतिष्ठा के अनुरूप थी तथापि ये सभी अपने पतियों की सहधर्मिणी ही थीं।

मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति - मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से स्त्रियों की स्थिति में जबर्दस्त गिरावट आयी। अशिक्षा और रूढ़ियाी जकड़ती गई,घर की चाहरी दीवारी में कैद होती गई और नारी एक अबला,रमणी और भोग्या बनकर रह गई। आर्य समाज आदि समाज-सेवी संस्थाओं ने नारी शिक्षा आदि के लिए प्रयास आरम्भ किये। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में भारत के कुछ समाजसेवियों जैसे राजाराम मोहन राय, दयानन्द सरस्वती, ईश्वरचन्द विद्यासागर तथा केशवचन्द्र सेन ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरूद्व आवाज उठायी। इन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के समक्ष स्त्री पुरूष समानता, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा पर रोक तथा बहु विवाह पर रोक की आवाज उठायी। इसी का परिणाम था सती प्रथा निषेध अधिनियम ,१८२९,१८५६ में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम,१८९१ में एज आफ कन्सटेन्ट बिल ,१८९१ , बहु विवाह रोकने के लिये वेटिव मैरिज एक्ट पास कराया। इन सभी कानूनों का समाज पर दूरगामी परिणाम हुआ। वर्षो के नारी स्थिति में आयी गिरावट में रोक लगी। आने वाले समय में स्त्री जागरूकता में वृद्धि हुई और नये नारी संगठनों का सूत्रपात हुआ जिनकी मुख्य मांग स्त्री शिक्षा, दहेज, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक, महिला अधिकार, महिला शिक्षा का माँग की गई।

महिलाओं के पुनरोत्थान का काल ब्रिटिश काल से शुरू होता है। ब्रिटिश शासन की अवधि में हमारे समाज की सामाजिक व आर्थिक संरचनाओं में अनेक परिवर्तन किए गए। ब्रिटिश शासन के २०० वर्षो की अवधि में स्त्रियों के जीवन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनेक सुधार आये। औद्योगीकरण, शिक्षा का विस्तार, सामाजिक आन्दोलन व महिला संगठनों का उदय व सामाजिक विधानों ने स्त्रियों की दशा में बड़ी सीमा तक सुधार की ठोस शुरूआत की।

आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति -स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक स्त्रियों की निम्न दशा के प्रमुख कारण अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक निषेध, जाति बन्धन, स्त्री नेतृत्व का अभाव तथा पुरूषों का उनके प्रति अनुचित दृष्टिकोण आदि थे। मेटसन ने हिन्दू संस्कृति में स्त्रियों की एकान्तता तथा उनके निम्न स्तर के लिए पांच कारकों को उत्तरदायी ठहराया है, यह है- हिन्दू धर्म, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, इस्लामी शासन तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद। हिन्दूवाद के आदर्शों के अनुसार पुरूष स्त्रियों से श्रेष्ठ होते हैं और स्त्रियों व पुरूषों को भिन्न-भिन्न भूमिकाएँ निभानी चाहिए। स्त्रियों से माता व गृहणी की भूमिकाओं की और पुरूषों से राजनीतिक व आर्थिक भूमिकाओं की आशा की जाती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हे विकास की मुख्य धारा में समाहित करने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। महिलाओं को विकास की अखिल धारा में प्रवाहित करने, शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराकर उन्हे अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग करते हुए उनकी सोंच में मूलभूत परिवर्तन लाने, आर्थिक गतिविधियों में उनकी अभिरूचि उत्पन्न कर उन्हे आर्थिक-सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन की ओर अग्रसारित करने जैसे अहम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पिछले कुछ दशकों में विशेष प्रयास किये गए हैं।

उन्नीसवीं सदी के मध्यकाल से लेकर इक्कीसवीं सदी तक आते-आते पुनः महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और महिलाओं ने शैक्षिक, राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए आयाम तय किये। आज महिलाएँ आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित, आत्मविश्वासी हैं, जिसने पुरूष प्रधान चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। वह केवल शिक्षिका, नर्स, स्त्री रोग की डाक्टर न बनकर इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीशियन, सेना, पत्रकारिता जैसे नए क्षेत्रों को अपना रही है। राजनीति के क्षेत्रों में महिलाओं ने नए

कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल, लोकसभा स्पीकर के पद पर मीरा कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती, वसुन्धरा राजे, सुषमा स्वराज, जयललिता, ममता बनर्जी, शीला दीक्षित आदि महिलाएँ राजनीति के क्षेत्र में शीर्ष पर हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी मेधा पाटकर, श्रीमती किरण मजूमदार, इलाभट्ट, सुधा मूर्ति आदि महिलाएँ ख्यातिलब्ध हैं। खेल जगत में पी.टी. ऊषा, अंजू बाबी जार्ज, सुनीता जैन, सानिया मिर्जा, अंजू चोपड़ा आदि ने नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। आई.पी.एस. किरण बेदी, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आदि ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके विविध क्षेत्रों में अपने बुद्धि कौशल का परिचय दिया है।

आज के समय में महिलाओं की स्थिति -२० वीं सदी के उत्तरार्द्ध और अब २१ वीं सदी के प्रारम्भ में बराबरी व्यवहार वाले जोड़े बनने लगे हैं। नौकरी वाली नारी के साथ पुरूष की मानसिकता में बदलाव आया है। पहले नौकरी वाली औरत के पति को "औरत की कमाई खाने वाला" कह कर चिढ़ाया जाता था। आज यह सोच बदल चुकी है। स्त्री स्वातंत्र में अर्थशास्त्र का योगदान अद्भुत है। स्त्रियां धन कमाने लगी हैं तो पुरूष की मानसिकता में भी परिवर्तन आया है। आर्थिक दृष्टि से नारी अर्थचक्र के केन्द्र की ओर बढ़ रही है। विज्ञापन की दुनियां में नारियां बहुत आगे हैं। बहुत कम ही ऐसे विज्ञापन होंगे जिनमें नारी न हो लेकिन विज्ञापन में अश्लीलता चिन्तन का विषय है। इससे समाज में विकृतियां भी बढ़ रही हैं। अर्थशास्त्र ने समाजशास्त्र को बौना बना दिया है। आज की नारी राजनीति, कारोबार, कला तथा नौकरियों में पहुँचकर नये आयाम गढ़ रही हैं। भूमण्डलीकृत दुनियां में भारत और यही की नारी ने अपनी एक नितांत सम्मानजनक जगह कायम कर ली है। आंकड़े दशति हैं कि प्रतिवर्ष कुल परीक्षार्थियों में ५० प्रतिशत महिलाऐं डाक्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं। आजादी के बाद लगभग १२ महिलाएीं विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। भारत के अग्रणी साफ्टवेयर उद्योग में २१ प्रतिशत पेशेवर महिलाऐं हैं। फौज, राजनीति, खेल, पायलट तथा उद्यमी सभी क्षेत्रों में जहाँ वषरें पहले तक महिलाओं के होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वहां सिर्फ नारी स्वयं को स्थापित ही नहीं कर पायी है बल्कि वहां सफल भी हो रही हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण व विकास हेतु किये गये प्रयासः

महिला सशक्तिकरण व विकास हेतु नीतियॉं एवं उनका क्रियान्वयन -

१. १९७४ में गठित समिति (टुवर्डस सोशल एक्वालिटी) सामाजिक समानता की और नामक कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में योजनओं का लक्ष्य महिलाओं का कल्याण न समझकर, उन्हें महत्वपूर्ण एजेन्ट का दर्जा दिया गया।

२. महिला शिक्षा प्रोत्साहन १९८६ के माध्यम से महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है, बालिकाओं के दाखिले और उनकी पढ़ाई के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान, राष्ट्रीय स्तर के विद्यालयों में एक तिहाई छात्राओं के प्रवेश पर जोर दिया जा रहा है,

३. १९८८ की श्रम शक्ति की रिपोर्ट के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार की सिफारिश की गई, जिसमें महिलाओं के विकास संबंधी कार्यक्रम एवं नीतियॉं बनाई जाती हैं जिसमें विशेषकर ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं पर जोर दिया जाता है ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड सके।

४. केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय योजना १९८८-२००० में बनाई जिसमें महिलाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए बहुउद्देशीय नीति बनाई गई।

५. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व्दारा महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना तथा विभिन्न शोध परियोजनाओं में महिलाओं से संबंधित परियोजनाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

महिला सशक्तिकरण व विकास हेतु संवैधानिक प्रावधान -

भारतीय संस्कृति एवं जीवन पद्धिति में मानव अधिकारों की प्रतिष्ठा प्राचीन काल से ही संस्थापित है। भारतीय संविधान के प्रावधानों ने अमानवीय स्थितियों को समाप्त कर सुव्यवस्थिति एवं सामाजिक सुरक्षा कायम करने का प्रयास किया, जिससे महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी रुप से सशक्त बनाने हेतु स्वतंत्र भारत के सवंधािन में भी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार देने का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार हैः-

१. अनुच्छेद - १४ भारत के सीमा क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों से समान संरक्षण से, राज्य व्दारा वंचित नही किया जाएगा।

२. अनुच्छेद- १५ (१) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा।

३. अनुच्छेद- १५ (३) इस अनुच्छेद में किसी बात से राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपलब्धि बनाने में बाधा नहीं होगी।

४. अनुच्छेद- १६ (२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के लिए विषय में न अपात्रता होगी, और न विभेद किया जायेगा।

५. अनुच्छेद- १९ (१) समान रुप से प्रत्येक नागरिक को शोषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारी की गारन्टी देता है, अर्थात् सभी नागरिक अपने विचारों, विश्वासों और दृढ निश्चयों को निर्बाध रुप से तथा बिना किसी रोक टोक के मौखिक शब्दों व्दारा, लेखन, मुद्रण, चित्रण के व्दारा अथवा किसी अन्य ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है।

६. अनुच्छेद- २१ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं किसी व्यक्ति की विधि व्दारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नही किया जायेगा।

७. अनुच्छेद- २३ तथा २४ मानव के अवैध व्यापार, बेगार और अन्य बलात् श्रम, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन आदि के व्दारा शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाता है।

८. अनुच्छेद- ३९ समान रुप से नर और सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य समान वेतन, श्रमिकों, और महिलाओं का स्वास्थ और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो।

९. अनुच्छेद- ४२ तथा ४३-३ राज्य कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, काम की मानवोचित दशाएं, प्रसूति सहायता, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का पूर्ण उपभोग और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

१०. अनुच्छेद- ५१ (३) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे तो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।

११. अनुच्छेद ७३ में उपबन्ध है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है। अतः संघ की कार्यपालिका शक्ति तब तक उपलब्ध है जब तक इस बुराई को समाप्त करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए संसद कोई विधान अधिनियमित नहीं करती।

१२. ७३ वां एवं ७४वां संविधान संशोधन: इस संशोधनों में महिलाओं को स्थानीय निकाय में ३३ प्रतिषत आरक्षण का प्रावधान से किया गया, जिससे स्थानीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता हेतु आवसर प्राप्त हुए है और अब ५० प्रतिषत आरक्षण का प्रावधान है।

महिला सषक्तिकरण व विकास हेतु पंचवार्षिक योजनाओं के माध्यम से प्रयास -

पिछ्ले ६८ वर्षो से महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुनियोजित विकास किया जा रहा है, जिससे योजनागत परिव्यय में उतरोत्तर वृद्धि हुई है। पहली पंचवर्षीय योजना में जो दृष्टिकोण "कल्याण उन्मुख" था उसी दृष्टिकोण ने आगामी पंचवर्षीय योजनाओं में अपना स्वरूप बदल कर "विकास" और "सशक्तिकरण" कर लिया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से महिला सषक्तिकरण व विकास के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे है, जो निम्न है:-

१. पहली पंचवर्षीय योजना-१९५१-१९५६: इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं का मुद्दा कल्याणोन्मुखी था केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने महिलाओं के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र के माध्यम से अनेक कल्याणकारी आय आरम्भ किए। महिलाओं के लिए बनाए गए कार्यक्रमों को सामुदायिक विकास खण्डों के माध्यम से राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रमों के जरिए कार्यान्वित किया गया।

२. दूसरी पंचवर्षीय योजना-१९५६-१९६१: इस योजना के दौरान आधार भूत स्तरों पर महिला मण्डलों के गठन के लिए अनुकूल प्रयास किए गए ताकि कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

३. तीसरी, चौथी, पांचवी और अन्य अंतरिम योजनाएं-१९६१-१९७४: इन योजनाओं के दौरान महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई। मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवा, बच्चों के लिए अनुपूरक पोषाहार तथा गर्भवती महिलाओं के लिए नर्सिंग संबंधी सेवाओं में सुधार के उपाय आरम्भ किए गए।

४. छठी पंचवर्षीय योजना-१९८०-१९८५: इस पंचवर्षीय योजना की अवधि को महिलाओं के विकास में मील का पत्थर माना जा सकता है। इस योजना के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के नियोजन पर त्रिपक्षीय बल के साथ एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया।

५. सातवीं पंचवर्षीय योजना-१९८५-१९९०: इस योजना के दौरान भी महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए विकास कार्यक्रम जारी रखे गए। इन विकास कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण कदम ऐसे "लाभग्राही-उन्मुख कार्यक्रमों" की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना है जिनके माध्यम से महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ दिया जा सके।

६. आठवीं पंचवर्षीय योजना-१९९२-१९९७: इस योजना के दौरान यह प्रयास किया गया कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विकास के लाभों से वंचित न रह जाए। इस दौरान विकास के सामान्य कार्यक्रमों की कमी को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के तीन महत्वपूर्ण प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं को उपलब्ध करवाए जाने वाले लाभों की सतर्कतापूर्ण निगरानी रखी गई। महिलाओं को और समर्थ बनाया गया ताकि वे स्थानीय निकायों में सदस्यता के आरक्षण के साथ साथ विकास की प्रक्रिया में बराबर के हिस्सेदार और सहभागी के रूप में कार्य कर सकें।

७. नौवीं पंचवर्षीय योजना-१९९७-२००२: इस योजना में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तथा विकास के एजेंट के रूप में महिलाओं तथा सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों जैसे अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण करना, पंचायती राज संस्थानों, सहकारी समितियों और स्वं सहायता जैसे जन सहभागिता संस्थाओं को बढ़ावा देना और उनका विकास करना आदि है।

८. दसवीं पंचवर्षीय योजना-२००३-२००७: इस योजना का खाका सूचना, संसाधनों तथा सेवाओं तक महिलाओं की अपेक्षित पहुँच और लिंग समानता में वृद्धि करने के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था।

९. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना -२००७-२०१२: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जेंडर सशक्तिकरण तथा समानता के उपाय अपनाए जाने का प्रस्ताव है। महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय जेण्डर बजट तथा जेण्डर को मुख्यधारा में लाए जाने की प्रक्रिया को उत्साहपूर्वक लागू करेगा।

महिला सषक्तिकरण व विकास हेतु कानूनी प्रयास - भारतीय संविधान एवं विभिन्न दंड सहिताओं में भी कई ऐसे नियम, विनियम एवं अधिनियम आदि बनाए गए हैं जिसकी सहायता से महिलाओं के हितों की रक्षा की जा सकती है। महिलाओं से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम निम्नलिखित है:-

१. मानवीय अधिकार - महिला-पुरूष के समान अधिकारों को निर्धारित करने वाला प्रथम अंतरराष्ट्रीय प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ की नियमावली है। इस नियमावली में कहा गया है कि समस्त मानव जाति को जनम से समान प्रतिष्ठा एवं अधिकार प्राप्त है। सभी महिला-पुरूषों को बिना किसी भेदभाव के समान स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त होने चाहिए। संघ के सदस्य देषों से यह अपेक्षा की गई है कि वे सभी महिला-पुरूषों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नागरिक और राजनैतिक अधिकारों से आष्वस्त करें। स्त्रियों के प्रति भेदभाव को समान अधिकार और मानव प्रतिष्ठा का उल्लंघन माना है।

२. सामाजिक अधिकार - समाज में महिलाओं की स्थिति व दर्जा को सषक्त बनाने के लिए विवाह का अधिकार, तलाक का अधिकार, मातृत्व का अधिकार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम १९६१, बाल विवाह अवरोध अधिनियम, १९२९, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, हिन्दू विवाह अधिनियम १९५६, विषेष विवाह अधिनियम, १९५४, मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, १९३९, प्रसव पूर्व तकनीक निवारण अधिनियम, गर्भावस्था समापन चिकित्सा अधिनियम, १९७१, स्त्री अषिष्ट प्रतिबंध अधिनियम, १९८७, चलचित्र अधिनियम, १९५२, हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम, २००५ एवं २००६, कार्य स्थल पर यौन शोषण अधिनियम १९९७, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (बचाव व शिकायत निवारण विधेयक) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (बचाव, निषेध, निवारण अधिनियम) २०१३ जैसे कई संबंधी अधिकार कानून द्वारा प्रदान किये गये है।

३. आर्थिक अधिकार - समाज में महिलाओं की स्थिति व दर्जा को आर्थिक रूप सषक्त बनाने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, भारतीय दंड सहिता, १८६०, मुसलमान उत्तराधिकार संबंधी विधि, मुआवजे का अधिकार, दण्ड प्रक्रिया १९७३, कारखाना अधिनियम, १९४८, संषोधन-१९७६, आपराधिक कानून अधिनियम, १९६१ जैसे अधिकार प्रदान किये गये है, जिससे महिलाओं के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक शोषण से बचाने में सहयक हो सके।

४. राजनीतिक अधिकार - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १९८२: साक्ष्य का आसाधारण अधिनियम यह है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसके द्वारा आक्षेप लगाया गया हो और ऐसी ही स्थिति में महिलाओं पर होने वाला अत्याचारों के मामलों में भी थी। देष की संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को १६३ यानी ३३ प्रतिषत आरक्षण प्रदान कराने का विधेयक लाया गया है। हालांकि स्थानीय निकायों जैसे-पंचायती राज व्यवस्था व नगरपालिकाओं में यह व्यवस्था दो दषक पूर्व से प्रभावी है।

५. यौन अपराध संबंधी अधिकार - अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, १९५६, संषोधित १९७८ व १९८६: "सप्रेषन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिक इन वूमेन एंड गर्ल एक्ट" १९५० संषोधित १९७८ व द इम्मोरल ट्रैफिक प्रीवेन्षन एक्ट १९८६, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, १९५६, से मिलता जुलता है।

६. अन्य अधिकार - सती निवारक अधिनियम, १९८७ व राजस्थान सती निवारक अधिनियम, १९८७: इस अधिनियम द्वारा सती प्रथा एवं उसकों महिमामण्डित करने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाये गये। महिलाएं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत विधिक सहायता पाने की अधिकारी है। संतान अपनी माता के नाम से भी जानी जाएगी। महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने हेतु राष्ट्रीय व राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय महिला नीति २००१ -

२००१ में राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई जिसके माध्यम से ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, मानव अधिकारों एवं महिलाओं के उन अधिकारों की सिफारिश करना जो महिलाओं को समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में पुरुषों के समान हिस्सेदारी दिला सके।

१. महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना ताकि वे अपनी पूरी संभाव्य शक्ति को समझने में समर्थ हो सके।

२. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सिविल सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान आधार पर महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता कानून और वास्तव में उपभोग करना।राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता और निर्णय करने में समान पहुंच।

४. स्वास्थ्य सुरक्षा, सभी स्तरों पर गुणवत्ता वाली शिक्षा, कैरियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान पारिश्रमिक व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी पद आदि में महिलाओं की समान पहुंच।

५. महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने के उद्देश्य से न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।

६. पुरुष और महिला दोनों को शामिल करने और सक्रिय सहभागिता द्वारा सामाजिक मनोवृत्तियों और सामुदायिक प्रथाओं में परिवर्तन लाना।

७. जेण्डर दृष्टिकोण को विकास की प्रक्रिया की मुख्य धारा में लाना।

८. महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव और सभी प्रकार की उत्पीड़न को समाप्त करना।

९. सभ्य समाज, विशेष रूप से महिला संगठनों के साथ साझेदारी बनाना और उसे सुदृढ़ करना।

महिला सषक्तिकरण व विकास हेतु विविध संस्थाओं के प्रयास -

१. राष्ट्रीय महिला आयोग -

भारत सरकार ने १९९२ में राष्ट्रीय महिला आयोग को गठन किया था, जो महिलाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनी सुरक्षा के अधिकारों को लागू करवाने की सिफारिश करता है तथा अपने सुझाव भी देता है। इस आयोग को संवैधानिक शक्तियां उपलब्ध है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अहम् भूमिका है, जो राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए कार्य करती है। इस अयोग के कार्य और इसके उत्तरदायित्व अत्यंत ही व्यापक है। महिलाओं की रक्षा से सम्बंधित तमाम पहलुओं और सषक्तिकरण प्रक्रिया को महिला आयोग के दायरे में लाया गया है जिसके आधार पर महिलाओं के समस्त अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया जाता है। महिला सषक्तिकरण में भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की अहम् भूमिका हैं। श्रीमती ललिता कुमारमंगलम वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है।

२. महिला एवं बाल विकास विभाग -

महिलाओं और बच्चों के विकास को वांछित गति प्रदान करने के लिए १९८५ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया था यह विभाग महिलाओं एवं बच्चों के विकास की देख-रेख के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। इस क्षेत्र में काम करने वाली सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में समन्वयन का काम भी यह विभाग करता है। राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग पर महिलाओं तथा बच्चों के विकास के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिसेफ तथा यूनिफेम जैसी संस्थाओं के साथ समन्वय की जिम्मेदारी है इसके अतिरिक्त इस विभाग-अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम, १९५९, स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम, १९८६, दहेज निषेध अधिनियम, १९६१, सती प्रथा निरोधक अधिनियम, १९८७, शिशु दुग्ध विकल्प, दुग्धपान बोतल एवं शिशु आहार उत्पादन, आपूर्ति और वितरण अधिनियम, १९९२, राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करता है।

३. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान -

यह संस्था सामाजिक विकास में कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन के साथ-साथ काम करने हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराती है समन्वित बाल विकास कार्यक्रम का संचालन करने वालों को प्रशिक्षण देने वाला नई दिल्ली स्थित यह अग्रणी संस्थान है विभिन्न एजेंसियों, शिक्षा संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय का कार्य यह संस्थान बखूबी कर रहा है संस्थान के चार क्षेत्रीय केन्द्र हैं जो बंगलौर, गुवाहाटी, लखनऊ तथा इंदौर में है।

४. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड -

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्य समाज कल्याण तथा महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में विशेष प्रयास करना है। इसकी स्थापना अगस्त १९५३ में हुई। यह देश का प्रथम संगठन है जो इस दिशा में सर्वाधिक प्रयास कर रहा है बोर्ड द्वारा लागू किये गये कार्यक्रमों में जरूरतमंद महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, महिलाओं और बालिकाओं के लिए शिक्षा के सघन पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ग्रामीण तथा निर्धन महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने वाली परियोजनाएं, पारिवारिक परामर्श केन्द्रध्स्वैच्छिक कार्यवाही ब्यूरो, बच्चों के लिए अवकाश शिविर, सीमावर्ती क्षेत्रों में कल्याण प्रसार योजनाएं और बालवाड़ियां, कामकाजी महिलाओं के लिए शिशु-सदन और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है।

५. राष्ट्रीय महिला कोष -

१९९३ में आरम्भ की गयी इस योजना का उद्देश्य आय अर्जन हेतु सक्षम बनाने हेतु महिलाओं को लघु ऋण उपलब्ध कराना है। यह ऋण मुख्यतः डेयरी, कृषि, दुकान, हस्तशिल्प आदि के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इस कोष से कोई महिला जिसके परिवार की वार्षिक आमदनी ११००० रूपये प्रतिवर्ष (ग्रामीण क्षेत्र) तथा ११८०० रूपये प्रतिवर्ष (शहरी क्षेत्र) हैं, आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर अपनी आर्थिक गतिविधियां जारी रखने हेतु ऋण ले सकती हैं। महिलाओं अथवा महिला समूहों को यह ऋण स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, महिला विकास निगमों, महिला सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

उपसंहार -

२१ वीं सदी महिलाओं की सदी है। यही परिवर्तन की आहट है कि महिलाएं सफलता के शिखर पर आरुढ़ हो रही हैं। कामयाबी के साथ उनकी सामाजिक व आर्थिक तस्वीर लगातार बदल रही है समाज के सभी पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्रों में महिलाओं ने शानदार प्रवेश किया है। वर्तमान स्थिति में नारी ने जो साहस का परिचय दिया है वह आश्चर्यजनक है। समाज के हर क्षेत्र में उसका परोक्ष-अपरोक्ष रूप से प्रवेश हो चुका है आज तो कई ऐसी संस्थायें है जिन्हें केवल नारी ही संचालित कर रही है जिस नारी को मध्य युग में बेड़ियों से जकड़ दिया गया था उस युग से आज तक उसके संघर्ष की कहानी बड़ी ही लंबी एवं चुनौतीपूर्ण है, परन्तु वह सफल हो रही हैं और आगे भी सफल होगी यह दैवीय योजना है। चाहकर भी कोई उसके बढ़तें कदमों को थाम नहीं सकता है। यही नारी की भवितत्वयता है और यह अत्यन्त सुखद भी है। यह कहने में कोई अतिषयोक्ति नही होगी कि इतना आगे बढ़ने के बाद भी सच्चाई यह है कि हजारों वर्षों की यह मान्यता कि महिला को पुरुष के संरक्षण की आवश्यकता होती है परिवर्तित नहीं है और इस कारण वह दोहरे मार से दबी रही है। आज भी उसको समाज में दोयम दर्जे का स्थान मिला है आज भी उसको अपने अधिकारों के लिये लड़ना पड़ता है और उसके साथ समय मिलने पर अत्याचार, शोषण, अनाचार कर रहा है उसकी जब चाहे तब बेईज्जती करने से नहीं चूक रहा है उसको नारी का हर क्षेत्र में आगे बढ़ना हजम नहीं हो रहा है। अतः इस विषय पर शासन, स्वयं सेवी संगठनों, राजनेताओं, शिक्षाविदों, समाज सेवकों एवं जनतंत्र को अभी और चिन्तन एवं समाज (स्त्री-पुरूष दोनों को) को मानसिकता बदलने की आवष्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

१- **किरन वडेहरा , जार्ज कोरेथ** - ग्रामीण महिला सशक्तिकरण , उपलब्धि अभिप्रेरणा के माध्यम से सूक्ष्म उद्यम , २०१७ , ै।ळम् पब्लिकेशन इन्डिया प्राइवेट लि० , मथुरा रोड , नई दिल्ली , ११००४४

२. **डा० मनीष खरे , डा० बबीता वर्मा** - भारत में शिक्षा नीति की दशा और दिशा , २०२१ , श्री विनायक पब्लिकेशन , २२९ , शास्त्रीपुरम सिकन्दरा , आगरा , २८२००७ , उत्तर प्रदेश

३. **डा० रमेश प्रसाद द्विवेदी** - भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास , २०१६ , ८१ - फूलमती लेआउट , जयवंत नगर , नागपुर, ४४००२७ , महाराष्ट्र

४. **श्रीमती पूनम साहू , डा० वासुदेव साहसी** - महिला सशक्तिकरण दशा एवं दिशा पं० रविशंकर मुक्त विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ.

५. **उपाध्याय जय जय राम** (२००३) : भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेनसी, इलाहाबाद

६. **डी.डी बसू** (२००२) : भारत का संविधान, वाधवा प्रकाशन, नई दिल्ली

७. **दैनिक भास्कर** - नागपुर संस्करण १८ जून २०११

८. **शर्मा कृष्ण कुमार** (२०१२) : भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिषिंग हाउस, दिल्ली, पृ. ४५

९. **टाईम्स ऑफ इंडिया** २० अगस्त २००९ एवं लोकमत मराठी नागपुर संस्करण १९ अगस्त २००९.

१०. **शर्मा कृष्ण कुमार** (२०१२): महिला कानून एवं मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिषिंग हाउस, दिल्ली, पृ. २६

११. **टंडन राजेश व पाण्डेय आलोक** (२००८): पंचायती राज संस्थाओं की मानव विकासोन्मुख और जेण्डर आधारित बजट की भूमिका, प्रिया संसाध केन्द्र रायपुर,